मुख्य अभियंता का कार्यालय
योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन,
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक :–1/पी०एम०सी०/विविध/874/2019........... /राँची, दिनांक–..........................

प्रेषक,

ई० नागेश मिश्र,
मुख्य अभियंता (मो०)।

सेवा में,

FAX
आवश्यक

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
राँची/हजारीबाग/देवघर/मेदिनीनगर,
चांडिल कम्पलेक्स एवं ईचा कम्पलेक्स।

विषय :– **कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु दिशा–निर्देश।**

महाशय,

राज्य अंतर्गत कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का कार्यान्वयन निम्नांकित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कराया जाता रहा है :–

(1) प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु की समाप्ति पर विभागीय पत्रांक–1168 दिनांक–27.09.07 द्वारा निर्गत संकल्प के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिये गठित कटाव निरोधक समिति अक्टूबर माह में संबंधित मुख्य अभियंता से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न कटाव/बाढ़ प्रभावित स्थलों का भ्रमण कर कराये जाने वाले कार्य का स्वरूप निर्धारित करती है एवं तद्नुसार मुख्य अभियंता द्वारा कटाव निरोधक समिति की अनुशंसा के अनुसार योजना प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कर इसकी समीक्षा हेतु राज्य तकनीकी सलाहकार समिति को समर्पित किया जाता है। वर्तमान में मुख्य अभियंता, समग्र योजना, रूपांकण एवं जल विज्ञान इसके अध्यक्ष है। तकनीकी सलाहकार समिति कराये जाने वाले कार्यों की समीक्षोपरांत अपनी अनुशंसा अभियंता प्रमुख–I की अध्यक्षता में गठित योजना समीक्षा समिति को उपलब्ध कराती है। योजना समीक्षा समिति माह दिसम्बर के पूर्व तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा के आलोक में आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व कराये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित कर अनुशंसा करती है। योजना समीक्षा समिति की अनुशंसा पर विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आवश्यकतानुसार गो अहेड आदेश आदि निर्गत किया जाता है एवं तद्नुसार योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जाती है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर योजनाओं का क्रियान्वयन होता है।

(2) राज्य में बड़े एवं महत्वपूर्ण कटाव निरोधक कार्य, जिनकी लागत राशि अपेक्षाकृत काफी अधिक होती है, की स्वीकृति केन्द्र सरकार की अनुशंसा पर एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में दी जाती है। ऐसी योजना की लागत राशि पर 50% केन्द्रांश राज्य को अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा गठित टीम अथवा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की टीम के द्वारा स्थल अध्ययन के पश्चात प्राप्त अनुशंसा के अनुसार तैयार किया जाता है। इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा तब प्रदान की जाती है जब जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है एवं नीति आयोग से Investment Clearance प्राप्त हो जाता है। राज्य में इस तरह

की महत्वपूर्ण एवं बड़ी योजनाओं का स्थल अध्ययन बाढ़ विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है, जिसका गठन विभागीय पत्रांक–1168 दिनांक–27.09.2007 द्वारा किया गया है।

उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को ससमय् पूरा कर उनसे अपेक्षित लाभ प्राप्त करने हेतु तथा योजनाओं का व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किया जाता है। इस संदर्भ में आप सभी मुख्य अभियंता से प्राप्त सुझावों के आलोक में इन दिशा–निर्देशों में आवश्यकतानुसार अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है।

दिशा–निर्देश

(1) सभी मुख्य अभियंता (राँची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, देवघर, चांडिल एवं ईचा) अपने–अपने कार्यक्षेत्र में कटाव एवं बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं हेतु प्रमंडलवार कार्यक्षेत्र निर्धारित कर इन प्रमंडलों का कार्यक्षेत्र एक नक्शे पर दर्शाते हुये विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी जानकारी अधीनस्थ अंचलों एवं संबंधित प्रमंडलों को देंगे ताकि अधीनस्थ कार्यालय अपने क्षेत्र में कटाव एवं बाढ़ की समस्या के प्रति जिम्मेवार हो सके।

2) सभी मुख्य अभियंता अपने–अपने परिक्षेत्र में कटाव, बाढ़, जलप्लावन, जल निस्सरण से संबंधित अब तक जितने मामले प्रकाश में आये हैं – यथा विधान सभा/लोक सभा प्रश्नों के माध्यम से/जनप्रतिनिधियों/नागरिकों के अभ्यावेदन के माध्यम से/विभाग द्वारा प्रेषित/ पत्रों के माध्यम से, सबकी एक सूची बनाकर, सभी मामलों के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करें जिसमें कार्य की आवश्यकता, प्राक्कलन आदि की विवरणी संधारित हो।

3) विभागीय पत्रांक–1168 दिनांक–27.09.07 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार हर हाल में 31 अक्टूबर तक कटाव निरोधक समितियाँ स्थल भ्रमण का कार्य संपन्न कर प्रतिवेदन संबंधित मुख्य अभियंता, राज्य तकनीकी सलाहकार समिति एवं विभाग में मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग को उपलब्ध करायें।

कई बार समिति अपूर्ण या अतिसंक्षिप्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराती है जिससे आगे की कार्रवाई के पूर्व पुनः उनसे संपर्क करना पड़ता है, इससे ससमय, कार्य होने में बाधा पहुँचती है। अतः समिति से आग्रह है कि वह स्थल का व्यापक अध्ययन कर पूर्ण विवरण (रेखांकन एवं आकलन) के साथ तार्किक आधार पर अपनी अनुशंसा दें। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को समिति की अनुशंसा के अनुसार ही प्रस्ताव तैयार करना है तथा कराये जाने वाले कार्य का लाभ लागत अनुपात की भी गणना की जानी चाहिए।

4) सभी मुख्य अभियंता से अनुरोध है कि वे तकनीकी सलाहकार समिति से अंतिम रूप से अनुमोदित प्राक्कलन को योजना समीक्षा समिति की बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले भेजना सुनिश्चित करें।

5) समितियों से अनुशंसित योजना को बजट में शामिल करने हेतु इस येाजना का नाम, संक्षिप्त विवरण एवं अनुमानित लागत से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित मुख्य अभियंता सीधे विभाग को उपलब्ध करायेंगे ताकि विभागीय बजट में इस योजना हेतु राशि प्रस्तावित करने की कार्रवाई की जा सके।

6) आगामी वर्षा ऋतु (वर्ष 2021) के पूर्व कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधात्मक कार्यों का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या–1168 राँची दिनांक–27.09.07 के अनुसार ही कराया जाना है। कार्यों के स्वरूप का निर्धारण क्षेत्रीय कटाव निरोधक समितियों द्वारा स्थल अध्ययन/निरीक्षण के उपरांत होगा एवं कई प्रक्रियाओं का पालन करते हुये तकनीकी रूप से कार्य को 31 मई तक (अन्य नदियों के लिये) एवं 15 जून तक (गंगा नदी के लिये) समाप्त कर लेना होता है। स्पष्ट है कि सभी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध रूप से एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ससमय् पूरा कर लेना आवश्यक है। इस बीच विभाग को कार्यों की लागत राशि स्पष्ट हो जाने पर तद्नुसार निधि की व्यवस्था/बजट

उपबंध भी करना होता है। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता की माँग पर स्थिति के अनुसार ही गो अहेड आदेश संसूचित किया जाता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये एवं विगत वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम संसूचित किया जाता है।

i.	संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा कटाव निरोधक कार्यों का प्रस्ताव/प्राक्कलन संबंधित कटाव निरोधक समिति/ बाढ़ विशेषज्ञ समिति को उपस्थापित करना।	29.10.2020 तक
ii.	कटाव निरोधक समितियों/ बाढ़ विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल भ्रमण	04.11.2020 तक
iii.	कटाव निरोधक समितियों/ बाढ़ विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन संबंधित मुख्य अभियंताओं को उपलब्ध कराना	07.11.2020 तक
iv.	कटाव निरोधक समितियों/ बाढ़ विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आलोक में योजना प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियंताओं द्वारा राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाना	12.11.2020 तक
v.	राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कटाव निरोधक समिति/बाढ़ विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त प्रस्ताव की तकनीकी समीक्षा एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	19.11.2020 तक
vi.	तकनीकी सलाहकार समिति की समीक्षा के आलोक में मुख्य अभियंता द्वारा, संशोधित प्रस्ताव का विभाग को उपस्थापन	26.11.2020 तक
vii.	योजना समीक्षा समिति की बैठक (योजनाओं की अनुशंसा हेतु)	03.12.2020 तक
viii.	स्थिति के आधार पर 'गो अहेड' आदेश का संसूचन	09.12.2020 तक
ix.	योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति (विभाग द्वारा)	14.12.2020 तक
x.	निविदा आमंत्रण, निविदा प्राप्ति एवं निविदा निष्पादन	14.01.2021 तक
xi.	कार्याबंटन/कार्यारम्भ	20.01.2021 तक
xii.	कार्य समापन की अवधि	गंगा नदी 15.06.2021 तक अन्य के लिए 31.05.2021 तक

अतः अनुरोध है कि सभी मुख्य अभियंता उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार अनुवर्त्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे अपने–अपने परिक्षेत्राधीन कटाव निरोधक समिति के सदस्यों को अपने स्तर से सूचित कर दें। कृपया उपरोक्त समय सारणी का पालन सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश अपने स्तर से देना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(नागेश मिश्र)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/897/2019............................/राँची, दिनांक–....................................

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, समग्र योजना, रूपांकण एवं जल विज्ञान, राँची सह अध्यक्ष राज्य तकनीकी सलाहकार समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(नागेश मिश्र)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/897/2019........................../राँची, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग सह अध्यक्ष योजना समीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(नागेश मिश्र)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/897/2019........................../राँची, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(नागेश मिश्र)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/897/2019..457................/राँची, दिनांक–..12-10-20..................

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/10/2020
(नागेश मिश्र)
मुख्य अभियंता (मो०)